न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद
पीठासीन अधिकारी :– विन्दु बाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या 06/2019
किस्म :– वाद–पत्र
दायर दिनांक : 08.01.2019
निर्णय दिनांक : 26.02.2026

अनवान

1– मगनीबाई पिता भंवरलाल जाति नाई निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
वादी

बनाम

1– नंदलाल पिता भंवरलाल जाति नाई निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमंद

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 88, 53, 188 आर0टी0ए0

निर्णय

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अर्न्तगत धारा 53, 188 का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा में आराजी संख्या 4687/4166 रकबा 8.10 बिघा वादीया के संयुक्त आधिप्तय की स्थित है। यह कि वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि वादयों के पुर्वज भंवरलाल एवं भंवरलाल जी को उक्त भूमि उनके पिता बख्तावरमल जी से प्राप्त हुई अर्थात वादग्रस्त कृषि भूमिया वादीया के सयुक्त सदायगी की भूमिया है जिसमें वादीया का जन्म से हित निहित हो चुके है। यह कि वादग्रस्त कृषि भूमियां में वादिया के पिता की आज से करीब 4–.5 वर्ष पुर्व मृत्यु हो चुकी है किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 ने वादीया को स्वर्गीय भंवरलाल की जायन्दा पुत्री नही बताते हुए नामान्तकरण संख्या 5545 दिनांक 09.06.2017 से विरासत के माध्यम से सिर्फ प्रतिवादी संख्या 01 ने पटवार हल्का से मिली भगत कर उसके नाम पर ही अंकित कर दी एवं पटवार हल्का के द्वारा भी स्वर्गीय भंवरलाल जी के विधिक वारिसान की बिना जानकारी किये प्रतिवादी संख्या 01 को सदोष लाभ पहुचाने की नियत से वादीया का नाम अन्तकाल में अंकित नही किया। यह कि वादीया स्वर्गीय भंवरलाल जी की जायन्दा पुत्री होकर वादग्रस्त कृषि भूमि में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् जन्म से निहित हित होने से एवं वादग्रस्त कृषि भूमिया हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब की सम्पत्ती होने से उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीया का संहदायगी के कारण वादीया का हिस्सा निहित है

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अर्थात वादग्रस्त कृषि भूमियों में वादीया का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 का भी 1/2 हिस्सा अंकित होना चाहिये था किन्तु राजस्व जमाबन्दी में वादीयां का नाम अंकित नही होने से उक्त वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि वादग्रस्त कृषि भूमि के विकास एवं स्वतत्र उपयोग उपभोग हेतु भूमियां का विभाजन कराया जाना आवश्यक है ताकि भूमियो के हिस्से को लेकर पक्षकारान के मध्य कोई वाद विवाद नही होवें एवं भूमिया का पक्षकारान अपनी सुविधानुसार विकास एवं स्वतत्र उपयोग उपभोग कर सके इस हेतु वादग्रस्त भूमिया में वादीयां का 1/2 हिस्सा घोषित किया जाकर कृषि भूमिया को मिटस एण्ड बोण्डस पद्वति के आधार पर विभाजन किया जाकर वादीया को स्वतत्र आधिपत्य दिलाया जाकर तदअनुसार राजस्व अभिलेखो में अंकित फरमाया जावें। यह कि वादग्रस्त कृषि भूमिया के हिस्से को लेकर एवं वादीया को उसके हिस्से की कृषि भूमियो से वचित करने की नियम से प्रतिवादी धमकिया देता रहता है जिससे प्रतिवादी संख्या 01 को स्थाई निषेद्याज्ञा के जरिये प्रतिबधित फरमाया जावें । कि वादीया के हिस्से में आयी कृषि भूमिया के स्वतंत्र उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप न तो वे स्वय करे न ही किसी अन्य से करावे । क्योकि वादीया स्वर्गीय बख्तावर जी की जायन्दा पौत्री एवं स्वर्गीय भंवरलाल जी की जायन्दा पुत्री होने से प्रथम दृष्टता मामला भी वादीया के पक्ष में एवं यदि प्रतिवादी के द्वारा वादीया को उसके कब्जे से बेदखल कर दिया गया तो अपुरर्णीय क्षति भी वादीया की ही कारित होगी जिसकी पूर्ती नकदी में सभव नही है। जिससे सुविधा सतुलन भी वादीया के पक्ष में है। क्योकि वादग्रस्त कृषि भूमियां प्रतिवादी के नाम पर होने से वह कृषि भूमियो को बेचने पर आमादा है जिसे रूकवाया जाना आवश्यक है। यह कि वाद में विभाजन की सहायता चाही गई है एवं प्रतिवादी संख्या 02 भूमि धारक होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है अन्यथा उनके विरूद्व कोई सहायता नही चाही गई है। यह कि वादीया का वाद हेतुक प्रतिवादी संख्या 01 को कई मर्तबा नामान्तरकरण संख्या 5545 को निरस्त करने एवं वादग्रस्त कृषि भूमियो को 1/2 हिस्सा से विभाजन करने एवं विभाजन के पश्चात उसके उपयोग उपभोग में दखलनदाजी बाबत् इकार किया किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 ने टालमटोला करते हुए दिनांक 10.12.2018 को साफ इकार कर दिया कि कृषि भूमिया उसके नाम पर अंकित नही करेगा जिससे वाद हेतुक दिनांक 10.12.2018 को बमुकाम गिलुण्ड में उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। यह कि वादग्रस्त कृषि भूमियां ग्राम गिलुण्ड, तहसील क्षैत्र रेलमगरा में स्थित होने से एवं वादीया द्वारा चाहा गया अनुतोष धारा 207 रा.टी.एक्ट के तहत न्यायालय आप द्वारा दिलाया जाने से वाद का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार न्यायालय आपको अभिप्राय है।

अतः प्रार्थना कि वादीयां के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्व वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा से वादीयां को खातेदार घोषित किये जाने की डिक्री प्रचलित फरमायी जावें, वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमियो का 1/2 हिस्सा से विभाजन किया जाकर राजस्व जमाबन्दी में स्वतत्र अंकन किया जाकर तदनुसार वादीया को कब्जा दिलाया जाने की डिक्री प्रदान की जावें एंव वादीया के पक्ष में एवं प्रतिवादी

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

संख्या 01 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान की जावे कि वादीया के हिस्से मे आई कृषि भूमि मे प्रतिवादी संख्या 01 किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप न तो स्वंय करे न ही किसी अन्य से करावें। अन्य समुचित सहायता जो वादीया प्राप्त करने का अधिकारिणी हो वह भी दिलायी जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 02 भूमिधारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है, किन्तु इनके विरूद्व कोई सहायता नही चाही गयी। प्रतिवादी संख्या 01 कि और से जवाब प्रस्तुत किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 01 में अंकित विवरण की भूमि ग्राम गिलुण्ड की सीमा में स्थित होना स्वीकार है किन्तु संयुक्त आधिपत्य की बात गलत होने से स्वीकार नही है बल्कि प्रतिवादी का अकेले का कब्जा कई वर्षो से लगातार बिना रोक टोक के चला आ रहा है। यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 02 में अंकित तथ्य जानकारी के अभाव में स्वीकार नही है। यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 03 में अंकित तथ्य की श्री भंवरलाल जी की मृत्यु हो जाना स्वीकार है बकाया तथ्य गलत होने से स्वीकार नही है। यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 04 में अंकित तथ्य गलत होने से स्वीकार नही है। भूमि हिन्दु अविभक्त परिवार की सपति नही है वादग्रस्त जमीन में वादी का कोई हिस्सा नही है जमाबदी मे प्रतिवादी संख्या 01 के नाम ही भूमि दर्ज है। यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 05 में अंकित तथ्य गलत होने से स्वीकार नही है। वादी खातेदारान नही है जिससे वह विभाजन नही करवा सकती है। यह कि वाद पत्र कलम संख्या 06 में अंकित तथ्य निराधार एवं मिथ्या होने से स्वीकार नही है, सारे तथ्य मनगढत अंकित किये गये है वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा नही है। कब्जा विहिन होने से वादी स्थाई निषेद्याज्ञा जारी नही करवा सकती है। यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 07 व 08 भी कानुनी होने से जवाब की आवश्यकता नही है। यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 09 गलत होने से स्वीकार नही है। कथित दिनांक 10.12.2018 को कोई वाद कारण वादी को उत्पन्न नही हुआ है। यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 10 कानुनी है। विशेष जवाब यह कि वादी अपने माता पिता कि जीवन काल में उनकी आज्ञा के विरूद्व विवाहिता पति को छोड अन्य के साथ नाता विवाह कर लिया और नातायत पति को छोडकर भी दो चार जगह नाता विवाह करके सामाजिक रीति रिवाज में नही रही जिससे वादी को समय दहेज के रूप में उसे संपति दे दी गई थी, उसके उक्त प्रकार के व्यवहार से वह प्रतिवादी से कोई संपति प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है, वादी के सबध अपने पिता व भाई के साथ मधुर नही रहे है। यह कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्व गलत दावा किया है

उक्त दावे एंव जवाब दावे अनुसार पत्रावली पर निम्न तनकियात विरचित की गयी।

तनकी संख्या 01— आया ग्राम गिलुण्ड की आराजी संख्या 4687/4166 वादीया को उनके पिता बक्तावरमल जी से सहदायगी के रूप में प्राप्त हुई।

जिम्मे वादीया

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

तनकी संख्या 02– आया उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति में वादीया का जन्म से हित निहीत हो जाने से एवं सम्पत्ति हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब भी होने से वादीया 1/2 हक से खातेदारी हक अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी होकर तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अंकन कराने की अधिकारिणी है।

जिम्मे वादीया

तनकी संख्या 03– आया वादग्रस्त सम्पत्ति में प्रतिवादी संख्या 01 उसके हिस्से में आई सम्पत्ति के उपयोग उपभोग करने की अधिकारिणी है।

जिम्मे वादीया

तनकी संख्या 04– आया वादीया सहखातेदार नही होने से विभाजन कराने की अधिकारिणी है।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 01

तनकी संख्या 05–आया वादीया ने उनके माता पिता की आज्ञा के विरूद्व जाकर विवाह किया जिससे उक्त सम्पत्ति प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 01

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन वक्त साक्ष्य PW-1 मगनीबाई पिता भंवरलाल जाति नाई निवासी गिलुण्ड के शपथ–पत्र प्रस्तुत हैं जिस पर प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा जिरह पूर्ण की गई वादी द्वारा इसके अतिरिक्त और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 प्रदर्श–01 है, जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 प्रदर्श–02 व विरासत का नामान्तकरण संख्या 5545 प्रदर्श–03 है, प्रतिवादी ने कोई दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी।

उभय अधिवक्ता की बहस सुनने के पश्चात् तनकी वाईज निर्णय इस प्रकार है :–

तनकी संख्या –1 उक्त तनकी साबित कराने का भार वादीया पर था। वादीया ने अपनी तनकी के समर्थन में अपने स्वयं के शपथ–पत्र पीडब्ल्यू–01 है। के साथ जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 प्रदर्श–01 जो प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 प्रदर्श–02 जो भंवरलाल पिता बख्तावर नाई के नाम पर दर्ज रिकोर्ड है। व भंवरलाल पिता बख्तावर नाई के नाम से नन्दलाल पिता भंवरलाल नाई के नाम पर विरासत का नामान्तकरण संख्या 5545 प्रदर्श–03 के प्रस्तुत किये। साक्ष्य के दौरान जिरह में भी बताया कि यह मुझे पता नही वादग्रस्त भुमि मेरे पिता भंवरलाल के नाम पर कहां से आयी। आज मुझे याद नही है मेरे पिता के पिता यानि पडदादाजी का नाम क्या है तथा वादग्रस्त जमीन पर नन्दलाल खेती कर रहा है। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में भुमि पैतृक होने सम्बंधित कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने से उक्त तनकी वादी विरूद्व प्रतिवादी के निर्णित कि जाती है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

तनकी संख्या – 2 से 4 उक्त तनकी सावित कराने का भार वादीया पर था। वादीया द्वारा तनकी संख्या 01 सावित कराने में असफल रहने से उक्त तनकीयात भी वादी विरूद्व प्रतिवादी के निर्णित कि जाती है।

उपरोक्त विवेचन के एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 188 R.T.A.का दस्तावेजी साक्ष्य से सावित कराने में असफल रही । अतः वादिया का वाद खारीज किया जाता है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कि जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
(राजसमंद)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

संख्यांक नं0 1

मूल वाद में अंतिम डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 06 / 2019

अनवान

वादीपक्ष :–

1– मगनीबाई पिता भंवरलाल जाति नाई निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

बनाम

प्रतिवादी पक्षः–

1.– नंदलाल पिता भंवरलाल जाति नाई निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमंद

दावा :– वाद अन्तर्गत धारा 53,188 रा.का.अधि. 1955

वादी की ओर सेः– अधिवक्ता कुलदीप सिंह

प्रतिवादीगण की ओर सेः– अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार

मे इस आशय में दिनांक 26.02.2026 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 188 R.T.A.का दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराने में असफल रही । अतः वादिया का वाद खारीज किया जाता है।

आज दिनांक को 26.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर लगाकर जारी की गई।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा